राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय एंव तृतीय तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोनः– 01041–2712376 E-mail ID– rajssa_as@yahoo.co.in

क्रमांकः– राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा–निर्देश/BRC/2018–19/ 8074 दिनांकः– 30/10/18

दिशा–निर्देश सत्र 2018–19

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र ग्रांट (BRC Grant)

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2018–19 में 301 ब्लॉक संदर्भ केन्द्रों (बीआरसी) को ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के कार्य संचालन एवं अकादमिक सहायता हेतु बीआरसी ग्रान्ट का बजट प्रावधान किया गया है। जिलेवार वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान का विवरण संलग्न है जिनकी ईकाई लागत प्रत्येक ब्लॉक संदर्भ केन्द्र कार्यालय हेतु निम्न प्रकार हैः–

कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट	50,000 रूपये वार्षिक प्रति बीआरसी।
मीटिंग व टी.ए	25,000 रूपये वार्षिक प्रति बीआरसी।
टीएलएम ग्रान्ट	5000 रूपये वार्षिक प्रति बीआरसी।

इस प्रकार प्रति बीआरसी कुल राशि रूपये 80,000 वार्षिक की दर से राशि रूपये 240.80 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल गठित कर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के दायित्वों का निर्वाहन करेंगे। वह ब्लॉक क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम एवं द्वितीय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार बीआरसीएफ के कार्य में सहयोग करेंगे। बीआरसी ग्रान्ट के उपयोग के संबंध में संक्षिप्त दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः–

- मीटिंग व टी.ए ग्रान्ट का उपयोग ब्लॉक संदर्भ केन्द्र कार्यालय पर मीटिंग हेतु अल्पाहार के लिए किया जा सकेगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम एवं द्वितीय बीआरसीएफ कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु की गई यात्रा के लिए नियमानुसार टी.ए. का भुगतान आहरण कर सकेंगे। इस राशि में से एज्यूकेशन वॉलिन्टियर को आमुखीकरण प्रशिक्षण हेतु निर्देशानुसार टी.ए. का भुगतान किया जायेगा।
- कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट में से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यो को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, एवं ऑनलाईन कार्य जैसे शालादर्शन, शालादर्पण, आरटीई पोर्टल इत्यादि की प्रविष्टि का व्यय शामिल है। क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की जाकर व्ययों का भुगतान रोकड बही में किया जायेगा।

www.rajteachers.com

- ब्लॉक के तृतीय श्रेणी अध्यापकों एवं अन्य समस्त शिक्षकों/कार्मिकों/अधिकारियों के प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के आयोजन एव पर्यवेक्षण तथा बीआरसी के अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करने हेतु टीएलएम राशि का उपयोग किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान विज्ञान, गणित व सामाजिक अध्ययन विषय में शैक्षिक नवाचार अपनाने एवं टीएलएम निर्माण हेतु प्रशिक्षण देने के लिए प्रति बीआरसी टीएलएम ग्रान्ट रूपये 5000 प्रदान किये गये है।

विशेष :–

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक उपर्युक्त राशि का व्यय किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर परिषद को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः– राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा–निर्देश/BRC/2018–19/ 8075 दिनांकः– 30/10/18

प्रतिलिपिः– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3. निजी सहायक अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. नियन्त्रक वित एवं लेखा, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5. उपायुक्त (योजना) समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. जिला / अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
7. रक्षित पत्रावली।

30/X/18

अति.राज्य परियोजना निदेशक II

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–1

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बीआरसी कार्यालय .... को सत्र 2018–19 में कन्टेन्जेन्सी, मीटिंग व टी.ए. तथा टीएलएम हेतु कुल प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या .... पर इन्द्राज कर दिया गया है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि			खर्च की गई राशि			शेष राशि		
		कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग व टी.ए.	टीएलएम	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग व टी.ए.	टीएलएम	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग व टी.ए.	टीएलएम

हस्ताक्षर
बीआरसी प्रभारी/ सीबीईओ

परिशिष्ट–2

जिला स्तर

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2018–19 में ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से जिले की कुल .... बीआरसी कार्यालय को राशि रूपये .... जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर राशि रूपये .... के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा MPR में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होगा।

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

www.rajteachers.com

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है:-

Academic Support through Block Resource Centres Budget 2018-19 (Rs. In Lac.)

S.No.	District Name	BRC Grant							
		Contingency Grant @0.5		Meeting, TA @0.25		TLM @0.05		Total	
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ajmer	9	4.50	9	2.25	9	0.45	9	7.20
2	Alwar	14	7.00	14	3.5	14	0.70	14	11.20
3	Banswara	11	5.50	11	2.75	11	0.55	11	8.80
4	Baran	7	3.50	7	1.75	7	0.35	7	5.60
5	Barmer	17	8.50	17	4.25	17	0.85	17	13.60
6	Bhartpur	10	5.00	10	2.5	10	0.50	10	8.00
7	Bhilwara	12	6.00	12	3	12	0.60	12	9.60
8	Bikaner	7	3.50	7	1.75	7	0.35	7	5.60
9	Bundi	5	2.50	5	1.25	5	0.25	5	4.00
10	Chittoregarh	11	5.50	11	2.75	11	0.55	11	8.80
11	Churu	7	3.50	7	1.75	7	0.35	7	5.60
12	Dausa	6	3.00	6	1.5	6	0.30	6	4.80
13	Dholpur	5	2.50	5	1.25	5	0.25	5	4.00
14	Dungarpur	10	5.00	10	2.5	10	0.50	10	8.00
15	Ganganagar	9	4.50	9	2.25	9	0.45	9	7.20
16	Hanumangarh	7	3.50	7	1.75	7	0.35	7	5.60
17	Jaipur	19	9.50	19	4.75	19	0.95	19	15.20
18	Jaisalmer	3	1.50	3	0.75	3	0.15	3	2.40
19	Jalor	8	4.00	8	2	8	0.40	8	6.40
20	Jhalawar	8	4.00	8	2	8	0.40	8	6.40
21	Jhunjhunu	8	4.00	8	2	8	0.40	8	6.40
22	Jhodhpur	17	8.50	17	4.25	17	0.85	17	13.60
23	Karauli	6	3.00	6	1.5	6	0.30	6	4.80
24	Kota	6	3.00	6	1.5	6	0.30	6	4.80
25	Nagaur	14	7.00	14	3.5	14	0.70	14	11.20
26	Pali	10	5.00	10	2.5	10	0.50	10	8.00
27	Pratapgarh	5	2.50	5	1.25	5	0.25	5	4.00
28	Rajsamand	7	3.50	7	1.75	7	0.35	7	5.60
29	Sawai Madhopur	6	3.00	6	1.5	6	0.30	6	4.80
30	Sikar	9	4.50	9	2.25	9	0.45	9	7.20
31	Sirohi	5	2.50	5	1.25	5	0.25	5	4.00
32	Tonk	6	3.00	6	1.5	6	0.30	6	4.80
33	Udaipur	17	8.50	17	4.25	17	0.85	17	13.60
	Total	**301**	**150.50**	**301**	**75.25**	**301**	**15.05**	**301**	**240.80**

www.rajteachers.com